वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 42

राजस्व विभाग

क. वसूलियॉं और प्राप्तियॉं को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	...	436.46	436.46	...	9717.37	9717.37	...	2331.63	2331.63	...	331.89	331.89
	पूंजी	...	*6.86*	*6.86*	...	*100.71*	*100.71*	...	*13.51*	*13.51*	...	*106.01*	*106.01*
	जोड़	**...**	**443.32**	**443.32**	**...**	**9818.08**	**9818.08**	**...**	**2345.14**	**2345.14**	**...**	**437.90**	**437.90**
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	127.13	127.13	...	142.93	142.93	...	137.90	137.90	...	154.41	154.41
2. मूल्य वर्धित कर योजना का कार्यान्वयन	2052	...	0.13	0.13	...	0.19	0.19	...	0.18	0.18	...	0.03	0.03
3. कर सूचना विनिमय प्रणाली का गठन	2052	...	6.38	6.38	...	15.61	15.61	...	6.00	6.00	...	8.00	8.00
4. आयकर की विदेशी इकाईयां	2052	...	0.66	0.66	...	20.24	20.24	...	3.96	3.96	...	13.11	13.11
अन्य राजकोषीय सेवाएं													
5. प्रवर्तन निदेशालय	2047	...	45.32	45.32	...	70.86	70.86	...	59.34	59.34	...	81.01	81.01
6. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	2047	...	18.65	18.65	...	10.03	10.03	...	8.38	8.38	...	10.99	10.99
7. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2047	...	0.95	0.95	...	1.01	1.01	...	1.17	1.17	...	1.17	1.17
8. अन्य व्यय	2047	...	19.07	19.07	...	20.69	20.69	...	21.72	21.72	...	27.38	27.38
9. वस्तु और सेवा कर नेटवर्क के लिए विशेष प्रयोजन साधन	2047	...	1.00	1.00	...	100.00	100.00	...	58.84	58.84	...	100.00	100.00
जोड़-अन्य राजकोषीय सेवाएं		**...**	**84.99**	**84.99**	**...**	**202.59**	**202.59**	**...**	**149.45**	**149.45**	**...**	**220.55**	**220.55**
अन्य प्रशासनिक सेवाएं													
10. स्वापक नियंत्रण	2070	...	21.44	21.44	...	26.88	26.88	...	25.10	25.10	...	27.90	27.90
11. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि	2070	...	2.30	2.30	...	2.74	2.74	...	6.13	6.13	...	6.10	6.10
12. औषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि में अंतरण	2070	...	...	...	...	1.00	1.00	...	...	...	...	1.00	1.00
13. कर प्रशासन सुधार आयोग	2070	...	...	...	...	...	...	...	2.58	2.58	...	5.16	5.16
14. विशेष अन्वेषण टीम	2070	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8.93	8.93
जोड़-अन्य प्रशासनिक सेवाएं		**...**	**23.74**	**23.74**	**...**	**30.62**	**30.62**	**...**	**33.81**	**33.81**	**...**	**49.09**	**49.09**
अन्य उद्योग													
15. अफीम एवं एल्केलायड कारखाने													
15.01 राजस्व व्यय	2875	...	404.43	404.43	...	219.97	219.97	...	301.43	301.43	...	223.64	223.64
15.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	0875	...	-312.72	-312.72	...	-347.73	-347.73	...	-316.47	-316.47	...	-338.97	-338.97
15.03 पूंजीगत व्यय	4875	...	0.02	0.02	...	0.70	0.70	...	0.50	0.50	...	6.00	6.00

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जोड़- अफीम एवं एल्केलायड कारखाने		*...*	*91.73*	*91.73*	*...*	*-127.06*	*-127.06*	*...*	*-14.54*	*-14.54*	*...*	*-109.33*	*-109.33*
16. मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम एवं एल्केलायड कारखाने	2875	...	0.49	0.49	...	0.55	0.55	...	0.56	0.56	...	0.60	0.60
जोड़-अन्य उद्योग		**...**	**92.22**	**92.22**	**...**	**-126.51**	**-126.51**	**...**	**-13.98**	**-13.98**	**...**	**-108.73**	**-108.73**
अन्य													
17. अन्य व्यय	2020	...	0.16	0.16	...	0.40	0.40	...	0.30	0.30	...	0.40	0.40
18. वस्तु और सेवा कर नेटवर्क हेतु विशेष प्रयोजन साधन के लिए पूँजी परिव्यय	4047	...	2.45	2.45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19. बने बनाए आवास की खरीद													
19.01 आवासीय भवन	4216	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
20. लोक निर्माण संबंधी पूँजीगत परिव्यय	4059	...	4.39	4.39	...	100.00	100.00	...	13.00	13.00	...	100.00	100.00
21. मूल्यवर्धित कर लागू करने तथा मूल्यवर्धित कर संबंधी व्यय के कारण राजस्व हानियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति	3601	...	98.07	98.07	...	131.00	131.00	...	70.00	70.00	...	1.01	1.01
	3602	...	3.00	3.00	...	1.00	1.00	...	4.00	4.00	...	0.01	0.01
	जोड़	*...*	*101.07*	*101.07*	*...*	*132.00*	*132.00*	*...*	*74.00*	*74.00*	*...*	*1.02*	*1.02*
22. केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति	3601	...	...	...	...	9300.00	9300.00	...	1940.51	1940.51	...	0.01	0.01
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*...*	*9300.00*	*9300.00*	*...*	*1940.51*	*1940.51*	*...*	*0.01*	*0.01*
जोड़-अन्य		**...**	**108.07**	**108.07**	**...**	**9532.41**	**9532.41**	**...**	**2027.82**	**2027.82**	**...**	**101.44**	**101.44**
कुल जोड़		***...***	***443.32***	***443.32***	***...***	***9818.08***	***9818.08***	***...***	***2345.14***	***2345.14***	***...***	***437.90***	***437.90***

1. **सचिवालय-सामान्य सेवाएं:** यह प्रावधान केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्त आसूचना एकक-भारत, पीआर.सीसीए, सीबीडीटी; पीआर.सीसीए,सीबीईसी तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम तथा स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी और प्रबंध समिति सहित राजस्व विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **मूल्य वर्धित कर योजना का कार्यान्वयन:** यह प्रावधान मूल्य वर्धित कर(वैट) को अपनाने के उद्देश्य से विशेष श्रेणी और नए सृजित राज्यों के संबंध में बिक्री कर विभाग के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए किया गया है।

3. **कर सूचना विनिमय प्रणाली का गठन:** यह प्रावधान मूल्यवर्धित कर प्रणाली (वैट) लागू करने के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टिनेक्सिस) के गठन की व्यवस्था करने के अलावा उपस्करों की खरीद आदि और हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर के वैट कम्प्यूटरीकरण परियोजना के कार्यान्वयन और सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अधिकारप्राप्त समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए विविध व्ययों के लिए किया गया है।

4. **आयकर की विदेशी इकाईयां:** यह प्रावधान 10 देशों में स्थापित की जा रही विदेशी आयकर यूनिटों के व्यय हेतु है।

5. **प्रवर्तन निदेशालय:** यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के व्यय के लिए है जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रवर्तन के संबंध में है।

6. **राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एन आई पी एफ पी) को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है।

7. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान धनशोधन, एग्मोन्त ग्रुप और आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओ0ई0सी0डी0) के संबंध में एशिया/प्रशान्त ग्रुप की सदस्यता हेतु वार्षिक अंशदान के लिए है।

8. **अन्य व्यय:** इसमें तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अपील अधिकरण, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण और धनशोधन निवारण अधिनियम , 2002 के तहत न्यायनिर्णय प्राधिकरण के लिए प्रावधान शामिल है ।

9. **वस्तु और सेवा कर नेटवर्क:** यह प्रावधान वस्तु और सेवा कर नेटवर्क के लिए विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) हेतु आवर्ती अनुदान प्रदान करने के लिए है।

10. **स्वापक नियंत्रण:** इसमें केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो और मादक द्रव्य दुरूपयोग पर नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय निधि (एनएफसीडीए) से व्यय हेतु प्रावधान शामिल है।

11. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि:** यह प्रावधान मादक द्रव्यों के दुरूपयोग पर नियंत्रण हेतु संयुक्त राष्ट्र निधि, कर प्रशासकों के राष्ट्रमंडल संघ, सीमा शुल्क परिषद, कोलम्बो योजना ब्यूरो के औषधि परामर्शी कार्यक्रम, अन्तर अमरीकी कर प्रशासक केन्द्र (सीआईएटी), पारदर्शिता एवं सूचना विनिमय संबंधी वैश्विक मंच और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के लिए है ।

12. **औषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि में अंतरण:** यह प्रावधान राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरूपयोग नियंत्रण निधि को अंतरण के लिए किया गया है ।

13. **कर प्रशासन सुधार आयोग:** यह प्रावधान कर प्रशासन सुधार आयोग (टीएआरसी) के लिए है।

14. **विशेष अन्वेषण टीम:** यह प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार विशेष अन्वेषण टीम की स्थापना के लिए है।

15. **अफीम एवं एल्केलायड कारखाने:** यह अफीम उत्पाद की खरीद सहित गाजीपुर और नीमच में अफीम कारखाना एवं एल्केलायड कार्य के निवल व्यय के लिए है। केन्द्र सरकार का अफीम की खेती पर पूर्ण नियंत्रण है तथा इसे संसाधित करने के लिए पूर्ण उत्पाद को खरीद लेती है तथा औषधीय और वैज्ञानिक जरूरतों के लिए इसे बेचती है।

16. **मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम एवं एल्केलायड कारखाने:** यह प्रावधान मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम तथा एल्केलायड कारखाना संगठनों के व्यय के लिए है ।

17. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान आयकर अधिनियम के अंतर्गत गठित सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय समिति के व्ययों की पूर्ति के लिए है ।

19. **बने बनाए आवास की खरीद:** यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए बने-बनाए आवासों की खरीद के लिए है।

20. **लोक निर्माण संबंधी पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान नई दिल्ली में राजस्व भवन के निर्माण के लिए है।

21. **मूल्यवर्धित कर लागू करने तथा मूल्यवर्धित कर संबंधी व्यय के कारण राजस्व हानियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की क्षतिपूर्ति:** यह प्रावधान मूल्य वर्धित कर (वैट) को लागू करने के कारण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए है । यह प्रावधान वाणिज्यिक कर हेतु मिशन मोड परियोजना (एमएमपी-सीटी) को लागू करने सहित वैट से संबंधित अन्य व्यय के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए भी है तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में दो कराधान अध्ययन संस्थानों को स्थापित/उन्नयन करने के लिए भी है ।

22. **केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति:** यह प्रावधान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को समाप्त किए जाने के कारण होने वाली राजस्व हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए है ।